प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 13.06.2026

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराध के शिकार हुए पीड़ित को साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 2250 रु0 की धनराशि

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई करते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक को लाभ का प्रलोभन देकर उसके साथ धोखाधड़ी (फ्रॉड) कर फ्राड खाते में ट्रांसफर हुए 2250 रुपये की पूर्ण धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- श्री प्रिंस कुमार पुत्र रामकेश गुप्ता निवासी बंजरिया रोड बघौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से दिनाँक 22.04.2025 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक को लाभ का प्रलोभन देकर उसके साथ धोखाधड़ी (फ्रॉड) कर फ्राड खाते में 2250 रुपये की धनराशि ट्रांसफर करवा लिया गया। ठगी का अहसास होने पर आवेदक ने तत्काल थाना कोतवाली खलीलाबाद में शिकायत दर्ज कराई। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी रविकान्त कुशवाहा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या 33104250047953 पंजीकृत की गयी। पुलिस की प्रभावी पैरवी से 2250 रुपये की पूर्ण धनराशि को आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

साइबर सेल टीमः- अपराध निरीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार यादव (प्रभारी साइबर सेल), का0 रविकान्त कुशवाहा , म0का0 रीता देवी , म0का0 शिवांगी सिंह

***अपील-* जनता से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।**

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराध के शिकार हुए पीड़ित को साइबर सेल थाना बखिरा पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 15,000रु0 की धनराशि

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना बखिरा टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक अज्ञात व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर 15000रु0 की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- श्री बब्बूराम चौधरी पुत्र रामचरन चौधरी निवासी तिघरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से दिनाँक 26.08.2025 को एक अज्ञात व्यक्ति के खाते मे 15000 की धनराशि ट्रांसफर होने पर आवेदक ने तत्काल थाना बखिरा में शिकायत दर्ज कराई। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी सुमन कुमारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या 33108250103725 पंजीकृत की गयी। पुलिस की प्रभावी पैरवी से पूरी धनराशि को आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

साइबर सेल टीम:- व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार, महिला आरक्षी सुमन, महिला आरक्षी अनामिका सिंह ,आरक्षी चन्द्रभान सिंह,।

अपील

जनता से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में वाँछित 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 377/2026 धारा 108, 352 बीएनएस व 3(1)द, 3(2)(5ए) एससी एसटी एक्ट मे वाँछित दो नफर अभियुक्तगण 01. अमरजीत पुत्र स्व0 धर्मेन्द्र 2.रीता देवी पत्नी स्व0 धर्मेन्द्र निवासीगण ग्राम विशुनपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को धनघटा हैसर रोड पर से आज दिनाँक 13.06.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 08.06.2026 को थाना धनघटा पर प्रार्थना पत्र दिया कि मेरी पुत्री उम्र करीब 19 वर्ष अमरजीत राजभर उपरोक्त से अंतरजातीय प्रेम करती थी और स्वेच्छा से अमरजीत राजभर के साथ जीवन व्ययतीत कर रही थी। कुछ दिनों बाद अमरजीत मेरी पुत्री को अपने घर विशुनपुर लेकर रहने लगा। कुछ दिनो तक सब सामान्य रहा, धीरे-धीरे मेरी पुत्री को अमरजीत व उसका परिवार मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा और जाति सूचक गलिया देकर अपमानित करने लगा। निरंतर जातिगत दुर्व्यवहार एवं निरंतर चमारिन आदि कहकर अपमानित होने से मजबूर होकर मेरी पुत्री ने दिनाँक 28.05.2026 को समय लगभग रात्रि के 8 बजे आत्महत्या कर लिया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धनघटा द्वारा अभियोग पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन के आधार पर कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 13.06.2026 को घटना में संलिप्त उक्त अभियुक्त व अभियुक्ता को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रवीन्द्र सिंह यादव, का0 रवि कुमार चौरसिया, रि0का0 रोहित राज,म0का0 प्रिया तिवारी।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराध के शिकार हुए पीड़ित को साइबर सेल थाना बखिरा पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 5,000रु0 की धनराशि

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना बखिरा टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक अज्ञात व्यक्ति के खाता में धनराशि ट्रांसफर 5000रु0 की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- वादी श्री भूपेन्द्र गुप्ता पुत्र बुधई ग्राम खुखुण्डा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनाँक 29.12.2025 को एक अज्ञात व्यक्ति के खाता मे 5000 की धनराशि ट्रांसफर होने पर आवेदक ने तत्काल थाना बखिरा पर शिकायत दर्ज कराई। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी सुमन कुमारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर शिकायत पंजीकृत की गयी। पुलिस की प्रभावी पैरवी से पूरी धनराशि को आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

साइबर सेल टीम: व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार, महिला आरक्षी सुमन, महिला आरक्षी अनामिका सिंह ,आरक्षी चन्द्रभान सिंह,।

अपील - जनता से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

दबिश के दौरान 04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना दुधारा पुलिस*** द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता गंगाराम कुम्हार पुत्र रुपई कुम्हार निवासी नौवाडीह थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह, हे0का0 विनोद यादव।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता विजय कुमार यादव पुत्र शिवपूजन यादव निवासी बढ़या ठाठर थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, का0 सुशान्त तिवारी।

थाना महुली पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी नाम पता 1. अखिलानन्द पुत्र हरनरायण निवासी दादर हरदो व 2. सीताराम पुत्र रामविलास निवासी गौराखुर्द थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अजय कुमार भारती , हे0का0 आनन्द दुबे, का0 सुनील सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 23 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5999 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 महिला को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 5999 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत कोचरी से कालर द्वारा पैदल जा रही महिला को मोटरसाइकिल से ठोकर लग जाने से घायल (1.रूबी पुत्री राजकुमार ग्राम कोचरी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घचना में घायल महिला को एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल महिला को एम्वुलेंस की सहायता से सीएचसी मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों सराहना व प्रशंसा की गयी।

पीआरवी स्टाफ- हे0का0 राजनाथ यादव, का0 शुभम कुमार सिंह, हो0गा0 रामवीर चौधरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 473 वाहनों से 5,37,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 13.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 473 वाहनों से 5,37,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।